मुन्तकिली प्रकरण सं0 87/2017 अनवानी 1—नक्षत्रपाल सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह जाति जटसिख निवासी हिन्दुमलकोट तह0 श्रीगंगानगर 2—गुरमीत सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह बनाम 1—मनमोहन सिंह पुत्र मलूक सिंह जाति रायसिख निवासी 8बी बड़ी ढाणी तह0 श्रीगंगानगर 2—गुरमीत सिंह 3—प्रसन कौर 4—गुरदीप सिंह 5—मुखत्यार सिंह 6—एसडीओ श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

25.09.2017

प्रार्थी के अभिभाषक श्री गुरचरण सिंह उपस्थित है। उन्हे एडमिशन के बिन्दु पर उन्हें सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अभिभाषक श्री गुरचरण सिंह का कथन है कि अप्रार्थी सं0 1 मनमोहन सिंह ने उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर में चक 8बी बड़ी के मु0न0 13 के 12 बीघा भूमि होने का कथन कर तथा इसके लिए कोई रास्ता ना होने का कथन कर प्रार्थीगण के मु0न0 13 के कि.न. 22,23 में एक एक विस्वा रास्ता व किला न0 24 में एक विस्वा रास्ता स्वीकृत करवाने के लिए प्रा0 पत्र पेश किया है जिसमें प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 05.07.17 को जबाब पेश किया गया व दिनांक 05.07.17 को धारा 69 आरटीए के प्रावधानो के अनुसार मौका देखने और मौका रिपोर्ट मंगवाने के लिये प्रार्थना की गयी। उनका आगे कथन है कि दिनांक 19.07.17 को अप्रार्थी मनमोहन सिंह ने ऐलानिया कहा कि उसने खानचंद उर्फ नत्थी के माध्यम से एसडीओ साहब को अप्रोच करवा दी है इसलिए निर्णय उसके हक में ही होगा। उनका आगे यह भी कथन है कि खानचंद उर्फ नत्थी पीठासीन अधिकारी का मामा लगता है तथा खानचंद उर्फ नत्थी, पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी सं0 1 के साथ ही मौके पर आया था। चूंकि पीठासीन अधिकारी उसके प्रभाव में है और दिनांक 21.08.17 को भी पेशी के रोज पीठासीन अधिकारी ने कहा कि रास्ता मंजूर करना पड़ेगा जिससे यह स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी मनमोहन सिंह के प्रभाव में है। ऐसी परिस्थिति में प्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष न्याय की कोई संभावना नही है। इसलिए मुन्तकिली प्रार्थना पत्र सुनवाई के लिए ग्रहण किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय में लंबित उक्त रास्ता प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

मैने प्रार्थी के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं मुन्तकिली प्रा0 पत्र एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि अप्रार्थी मनमोहन सिंह द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में एक रास्ता प्रकरण सं0 817/2016 अनवानी मनमोहन सिंह बनाम

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

नक्षत्रपाल सिंह धारा 251(ए) आरटीए का पेश किया हुआ है। प्रार्थीगण का यह आरोप है कि खानचंद उर्फ नत्थी जो कि पीठासीन अधिकारी का मामा है और अप्रार्थी मनमोहन सिंह ने उससे पीठासीन अधिकारी को अप्रोच कर रखी है और पीठासीन अधिकारी खानचंद के प्रभाव में है। इसलिए प्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष न्याय नही मिलेगा। उक्त आरोप साधारण प्रकृति का है जो मुकदमा मुन्तकिली का कोई ठोस आधार नही बनाता है। मुकदमा मुन्तकिली के लिए कोई ठोस आधार होना आवश्यक है जिसका इसमें पूर्णतया अभाव है। इसलिए प्रार्थीगण का मुन्तकिली प्रा0 पत्र सुनवाई के लिए ग्रहण करने योग्य नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र एडमिशन की स्टेज पर ही खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

1788
5-10-17

यह आदेश आज दिनांक 25.09.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर